रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102023-249463
CG-DL-E-16102023-249463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4342] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 16, 2023/आश्विन 24, 1945
No. 4342] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2023/ASVINA 24, 1945

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4513(अ).— जबकि मेसर्स रिन्यू सूर्या ज्योति प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 138, अंसल चैम्बर्स -II, भीकाजी कामा प्लेस , नई दिल्ली -110066 है, ने "जैसलमेर, राजस्थान में अपने 210 मे.वॉ सोलर पावर प्लांट के लिए मेसर्स रिन्यू सूर्या ज्योति प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांस्मिशन सिस्टम में शामिल डेडिकेटेड ओवरहेड ट्रांस्मिशन लाइन के संस्थापन" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/26179//2023 दिनांक 08.02.2023 के द्वारा "जैसलमेर, राजस्थान में अपने 210 मे.वॉ. सोलर पावर प्लांट के लिए मेसर्स रिन्यू सूर्या ज्योति प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांस्मिशन सिस्टम में शामिल डेडिकेटेड ओवरहेड ट्रांस्मिशन लाइन के संस्थापन" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए मेसर्स रिन्यू सूर्या ज्योति प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स रिन्यू सूर्या ज्योति प्राइवेट लिमिटेड ने 20.04.2023 (इंडियन एक्सप्रेस, प्रभात अभिनंदन एंड दैनिक नवज्योति) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 06.05.2023 से 12.05.2023 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों /

अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स रिन्यू सूर्या ज्योति प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 10.08.2023 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि भारत का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो महीनों के अंदर मेसर्स जुनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (जेजीईपीएल) में 1 आपत्ति प्राप्त हुई, हालांकि इसे मेसर्स जेजीईपीएल ने ई मेल दिनांक 12.06.2023 के जरिए वापस ले लिया। तत्पश्चात समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नही की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "जैसलमेर, राजस्थान में अपने 210 मे.वॉ. सोलर पावर प्लांट के लिए मेसर्स रिन्यू सूर्या ज्योति प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांस्मिशन सिस्टम में शामिल डेडिकेटेड ओवरहेड ट्रांस्मिशन लाइन के संस्थापन" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

> "रिन्यू सूर्या ज्योति - फतेहगढ़-III पीएस 220kV S/C लाइन के डी/सी तथा एम/सी टावर्स पर रिन्यू सूर्या ज्योति प्रा. लि. सोलर पावर प्लांट (210 मे.वॉ.) तथा रिन्यू सूर्या प्रताप प्रा. लि. सोलर पावर प्लांट (210 मे.वॉ.) का कॉमन पूलिंग स्टेशन"

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों,नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

क्र.सं	गांव	तहसील	जिला	राज्य
1	संजीत, मंडई, नीम्बा, मोधा, कोथा, हरभा, बोग्नियाई, टोगा, रबरी चाक, मोरहा, तेजमालता	फतेहगढ़	जैसलमेर	राजस्थान
2	बारसिंगा, कालीजल, शेओ, स्वामी का गांव, मतुओं की ढाणी	शेओ	बाड़मेर	

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स रिन्यू सूर्या ज्योति प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स रिन्यू सूर्या ज्योतिप्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है | आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये , जैसा भी मामला हो , माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है ।

[फा. सं. 25-16/14/2023-पीजी]

संजीव जैन, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 16th October, 2023

S.O. 4513(E).— whereas M/s ReNew Surya Jyoti Private Limited, the applicant with its registered office at 138, Ansal Chambers-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under "Installation of the dedicated overhead transmission line included in the Transmission System for providing Connectivity to M/s Renew Surya Jyoti Private Limited for its 210 MW Solar Power Plant in Jaisalmer, Rajasthan".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. I/26179//2023 dated 08.02.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s ReNew Surya Jyoti Private Limited for the overhead lines covered under "Installation of the dedicated overhead transmission line included in the Transmission System for providing Connectivity to "M/s Renew Surya Jyoti Private Limited" for its 210 MW Solar Power Plant in Jaisalmer, Rajasthan".

M/s ReNew Surya Jyoti Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers dated 20.04.2023 (Indian Express, Prabhat Abhinandan and Dainik Navjyoti) and in Weekly Gazette of India dated 06.05.2023 to 12.05.2023 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s ReNew Surya Jyoti Private Limited has submitted an affidavit dated 10.08.2023 declaring 01 objection was received from M/s Juniper Green Energy Private Limited (JGEPL), within two months from the date of publication in gazette. However, the same was withdrawn by M/s JGEPL vide email dated 12.06.2023. Further, no other objections/representations have been received from the public within two months of publication of Public Notice for the above transmission scheme in Newspapers/ Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under "Installation of the dedicated overhead transmission line included in the Transmission System for providing Connectivity to "Renew Surya Jyoti Private Limited" for its 210 MW Solar Power Plant in Jaisalmer, Rajasthan". The following overhead lines are covered under this transmission scheme:

"Common Pooling Station of Renew Surya Jyoti Pvt. Ltd. Solar Power Plant (210 MW) & Renew Surya Pratap Pvt. Ltd. Solar Power Plant (210 MW) at Renew Surya Jyoti -Fatehgarh-III PS 220 kV S/C line on D/C and M/C towers."

The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

Sl. No.	Village	Tehsil	District	State
1	Sanjeet, Mandai, Neemba, Modha, Kotha, Harbha, Bogniyai, Toga, Rabri Chak, Morha, Tejmalta	Fatehgarh	Jaisalmer	Rajasthan
2	Barsinga, Kalijal, Sheo, Swami Ka Gaon, Matuon ki Dhani	Sheo	Barmer	

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ReNew Surya Jyoti Private Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

i. The approval is granted for 25 years;

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s ReNew Surya Jyoti Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) potential area (or priority area) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and/or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/14/2023-PG]

SANJEEV JAIN, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL